

04
18/22

अपीलान्त के अतिरिक्त उपरोक्त अतिरिक्त
अपीलान्त द्वारा प्रकरण में अपीलान्त की
ओर से परकी हिदायत नहीं होने
से "Hort process" अंकित किया है।

लिहाजा अपीलान्त की यह अपील
अदर - परकी में खारिज की जाती
है। पत्रावली निर्दिष्ट शुमार होकर
नम्बर से काम हो व सखिल

सकल है।



low
जिला कलेक्टर
बाड़मेर